

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आह्वाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
257/2024

दायर दिनांक  
03.06.2024

निर्णय दिनांक  
11.06.2024


उनवान

1. छारु देवी पत्नी श्री जगदीश चन्द्र जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी- चांदगढ़ तहसील बड़लियास जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रार्थीया

बनाम

1. अण्ठी पत्नी श्री लादू चमार आयु वयस्क निवासी- भागलिया तहसील बड़लियास जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. एजन पत्नी श्री प्रताप चमार आयु वयस्क निवासी- भागलिया तहसील बड़लियास जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. कल्याण पुत्र श्री भैरु चमार आयु वयस्क निवासी- भागलिया तहसील बड़लियास जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. काना पुत्र श्री श्रीराम चमार आयु वयस्क निवासी- भागलिया तहसील बड़लियास जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. कालू पुत्र श्री भैरु चमार आयु वयस्क निवासी- भागलिया तहसील बड़लियास जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. काली पुत्री श्री लादू चमार आयु वयस्क निवासी- भागलिया तहसील बड़लियास जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. नन्दू पुत्री श्री लादू चमार आयु वयस्क निवासी- भागलिया तहसील बड़लियास जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. बदाम पुत्री श्री गैरु चमार आयु वयस्क निवासी- भागलिया तहसील बड़लियास जिला भीलवाड़ा (राज०)
9. बालू पुत्र श्री लादू चमार आयु वयस्क निवासी- भागलिया तहसील बड़लियास जिला भीलवाड़ा (राज०)
10. भागा पुत्र श्री श्रीराम चमार आयु वयस्क निवासी- भागलिया तहसील बड़लियास जिला भीलवाड़ा (राज०)
11. दूदा पुत्र श्री भूरा गुर्जर आयु वयस्क निवासी- चांदगढ़ तहसील बड़लियास जिला भीलवाड़ा (राज०)
12. देबी पुत्र श्री भूरा गुर्जर आयु वयस्क निवासी- चांदगढ़ तहसील बड़लियास जिला भीलवाड़ा (राज०)

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा

13. नंगजी पुत्र श्री गोकल गुर्जर आयु वयस्क निवासी- चांदगढ़ तहसील बड़लियास जिला भीलवाड़ा (राज०)
14. माधु पुत्र श्री गोकल गुर्जर आयु वयस्क निवासी- चांदगढ़ तहसील बड़लियास जिला भीलवाड़ा (राज०)
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बड़लियास जिला भीलवाड़ा (राज०)

-विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी पृथ्वीराज चौधरी  
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 14 उपस्थित नहीं


-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चांदगढ़ प०ह० जीवा का खेड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आकोला तहसील बड़लियास जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत 2076-2079 के खाता संख्या 325 की अभिलिखित आराजियात 644/31, 645/39 कुल किता 02 कुल रकबा 0.7778 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पड़ौसी खातेदारान है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीया खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीया वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 14 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

  
शुभचण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा